



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1979]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्टूबर 4, 2012/आश्विन 12, 1934

No. 1979]

NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 4, 2012/ASVINA 12, 1934

पर्यावरण और वन मंत्रालय

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

अधिसूचना

NOTIFICATION

नई दिल्ली, 4 अक्टूबर, 2012

New Delhi, the 4th October, 2012

का.आ. 2361(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितम्बर, 2006 के अनुसरण में भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1845(अ), तारीख 5 अगस्त, 2011 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

S.O. 2361(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and in pursuance of the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests, number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006, the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests, number S.O. 1845(E), dated the 5th August, 2011, namely :—

2. उक्त अधिसूचना के पैराग्राफ 4 में, क्रम सं. '6' और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

2. In the said notification, in paragraph 4, after serial number '6' and the entries relating thereto the following serial number and entries shall be inserted, namely :—

"6क. डॉ. अरविंद के. नेमा, — सदस्य"
सिविल इंजीनियरी विभाग,
आईआईटी, हाउज ख़ास,
नई दिल्ली-110016

"6A. Dr. Arvind K. Nema, — Member"
Department of Civil Engineering,
IIT, Hauz Khas,
New Delhi-110016

[सं.जे.-11013/62/2007-आईए. II(I)]

[No. J-11013/62/2007-IA. II(I)]

अजय त्यागी, संयुक्त सचिव

AJAY TYAGI, Jr. Secy.